



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223205
CG-DL-W-21112020-223205

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार / कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942
No. 35] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक इसका संबंध तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत) से है, नियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत), समूह 'ख'(अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इसनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत)	2* दो (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में तकनीकी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 12 वीं कक्षा पास की हो और मान्यताप्राप्त संस्थान से विशिष्ट प्रशीतन के संदर्भ में विद्युत में डिप्लोमा किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : 12 वीं कक्षा पास और विशिष्ट प्रशीतन के संदर्भ में विद्युत में डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी जोकि तकनीकी की श्रेणी में इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को विद्यमान नियमित पदधारी हैं।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अर्नात अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या कानूनी निकायों या सगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 या उसके सदृश पद नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्षों तक धारित किया</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपनिदेशक, प्रतिरक्षण खण्ड अनुभाग के लिए विस्तारित कार्यक्रम के देखभाल का कार्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; 4. सैनिक अस्पताल के अधिकारी, कसौली - सदस्य। <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपनिदेशक, प्रतिरक्षण खण्ड अनुभाग के लिए विस्तारित कार्यक्रम के देखभाल का कार्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; 4. सैनिक अस्पताल के अधिकारी, कसौली - सदस्य। 	<p>आवश्यक नहीं है।</p>

<p>हो ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12 वीं कक्षा पास ; और</p> <p>(ii) विशिष्ट प्रशिक्षण के संदर्भ में विद्युत में डिप्लोमा ; और</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न मशीनरी और प्रयोगशालाओं में उपस्कर के मरम्मत और अनुरक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	--	--

[फा.सं. ए- 12018/16/2018- ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd November, 2020

G.S.R. 160.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to amend the Central Research Institute, Kasauli (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1965 insofar as they relate to the post of Technical Supervisor (Electrical), namely:-

1. Short title and commencement .— (i) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Technical Supervisor (Electrical), Group 'B' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc .**—The method of the recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**—No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Supervisor (Electrical)	2 * (2020) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted , (Non-Ministerial)	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years	Promotion failing which Deputation Including Short Term Contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Technician in Level-4 (Rs. 25,500 - 81,100) of the pay matrix with ten years of regular service in the grade; and possessing 12th pass from a recognized Board/Institution and Diploma in electricity with particular reference to refrigeration from a recognized Institute and	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :- i) Deputy Director, looking after the work of Extended Programme for Immunization Section, Directorate General of Health Services : Chairman ii) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member	Not necessary.

<p>having successfully completed mandatory training of two weeks as prescribed by Competent Authority.</p> <p>Note: Requirement of 12th pass and diploma in electricity with particular reference to refrigeration shall not be applicable to the existing regular incumbents in the grade of Technician on the date of Notification of these rules.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Statutory Bodies, Organisations or Universities or Recognised Research Institutes :-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) 12th pass from a recognised board/institute; and (ii) Diploma in electricity with particular reference to refrigeration; and (iii) Two Years experience in repair and maintenance work of different machinery and equipment in laboratories from Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous or Statutory organizations / Public Sector Undertakings / Universities / Recognised Research Institutes.</p>	<p>iv) Officer of Military Hospital, Kasauli : Member</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :-</p> <p>i) Deputy Director, looking after the work of Extended Programme for Immunization Section, Directorate General of Health Services : Chairman</p> <p>ii) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member</p> <p>iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member</p> <p>iv) Officer of Military Hospital, Kasauli : Member</p>	
---	---	--

<p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications</p>		
--	--	--

[F. No. A-12018/16/2018-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह ' ग ' के पद) भर्ती नियमावली 1980 को, जहां तक उसका संबंध स्टोर कीपर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन नेशनल वेक्टर बोर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल वेक्टर बोर्न डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम, स्टोर कीपर (समूह ' ग ' पद) भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टोर कीपर	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 - 81100/- रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वशासी या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या सूचीबद्ध किसी प्राइवेट सेक्टर संगठन में भंडारों का प्रबंध और लेखा पालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: स्तर -2 (19900 -63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम – अध्यक्ष</p> <p>ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/किसी अन्य महानिदेशालय संस्थान से उप-निदेशक – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम – सदस्य</p> <p>2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम – अध्यक्ष</p> <p>ii) दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ किसी अन्य महानिदेशालय संस्थान से उप-निदेशक – सदस्य</p> <p>iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम – सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-70/2019/प्रशा.1]

बैचनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 2020

G.S.R. 161.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme,(Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Store Keeper (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Store Keeper	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level - 4 (Rs.25500-81100/-)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (The upper age- limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th class pass from a recognised Board or University; (ii) One year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store of the Central Government or State Government, autonomous or statutory	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

<p>organisation, Public Sector Undertaking or University or in a Private Sector Organization listed on the stock exchanges of India.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>By promotion: Lower Division Clerk in level 2 (Rs. 19900-63200/) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in relevant field.</p> <p>Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Director/ Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman.</p> <p>(ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services/Any other institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi – Member.</p> <p>(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.</p> <p>2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman.</p> <p>(ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services / Any other institution of the Directorate located in Delhi/New Delhi – Member.</p> <p>(iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.</p>	Not applicable

[F. No. 1-70/2019/Admn.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (वर्ग 'ग' के पद) भर्ती नियमावली, 1980 को, जहां तक उसका संबंध टेलीफोन ऑपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम में टेलीफोन ऑपरेटर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम, टेलीफोन ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टेलीफोन ऑपरेटर	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 – 63200 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: - 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक के हैंडलिंग में अनुभव के साथ साथ प्राइवेट ब्रांच	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:-

एक्सचेंज और प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज में हैंडलिंग का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) (ii) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली या नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या कोई अन्य स्वास्थ्य संस्था के उप निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-69/2019- (प्रशा. I)]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 2020

G.S.R. 162.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of **Telephone Operator (Serial number 18)** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Telephone Operator in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, **Telephone Operator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** .— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(i) Who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection posts	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Telephone Operator	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. Relaxable for Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Period of educational qualifications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. 12 th Class pass from a recognised Board. 2. Training Course in handling in Private Branch Exchange and Private Automatic Branch Exchange along with experience as Telephone Operator and in handling of Electronic Private Automatic Branch Exchange from an Institute recognised by Centre or State Government.	Not applicable	Two years	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) (ii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Joint Director or Deputy Director National Vector Borne Disease Control Programme – Chairman; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or Any other Institution of the Directorate Located in Delhi or New Delhi – Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not necessary.

[F. No. 1-69/2019/Admn.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में स्टोर अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में स्टोर अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा-
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टोर अधिकारी	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 6; (रु. 35400- 112400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (प्रोन्नति सह अल्प कालिक संविदा सहित)

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>संयुक्त पद्धति द्वारा प्रोन्नति सह प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी।</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है;</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 (29200-92300/-) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 (25500-81100/-) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण करता हो;</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ मास्टर डिग्री; तथा स्टोर को देखने और स्टोर के लेखा का रख-रखाव करने या केन्द्रीय या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक या भारतीय स्टाफ एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राईवेट सैक्टर संगठन</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुस्टीकरण पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है :</p> <p>(i) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई का कार्य करने पश्चात देखने वाला, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक या उपनिदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है</p>

<p>में एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ बैचलर डिग्री; तथा स्टोर को देखने और स्टोर के लेखा का रख-रखाव करने या केन्द्रीय या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक या भारतीय स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राईवेट सैक्टर संगठन में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंध या भंडारण प्रबंध या क्रय या लॉजिस्टिक या पब्लिक प्रापण में डिप्लोमा; या तथा स्टोर को देखने और स्टोर के लेखा का रख-रखाव करने या केन्द्रीय या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंक या भारतीय स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राईवेट सैक्टर संगठन में तीन वर्ष का अनुभव ; या</p> <p>टिप्पण-1 वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-) स्तर 4 में ऐसे विभागीय स्टोर कीपर जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन किया जाता है, प्रोन्नति द्वारा भरा गया उसे समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की</p>		
--	--	--

अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/03/2017-ईपीआई]

जी. के.पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2020

G.S.R. 163 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

1. **Short title and commencement .— (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Store Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection	Age-limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Store Officer	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Service, 'B', Gazetted, Ministerial	Central Group Non-Non-Ministerial	Level - 6, (Rs. 35,400-1,12,400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By deputation (including short term contract plus promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>By Composite Method</p> <p>Deputation (including short term contract) plus promotion.</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutes or Autonomous or Statuary Bodies:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs. 29,200-92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Master degree with Economics or Commerce or Statistics or Business studies or Public Administration from a recognised University or institute; and one year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State Government or Statutory or autonomous organization or Public Sector Undertakings or University or Any recognised institute or Banks or in a Private</p>	<p>Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(i) Deputy Director General (Public Health), Directorate General of Health Services - Chairman</p> <p>(ii) Director, Directorate General of Health Services looking after the work of BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member</p> <p>(iii) Director or Deputy Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Sector Organization listed on the stock exchange of India; or</p> <p>(ii) Bachelor degree in Economics or Commerce or Statistics or Business studies or Public administration as a subject from a recognised University or Institute; and two years experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State Government or Statutory or Autonomous organization or Public Sector Undertakings or University or any recognised institute or Banks or in a Private Sector Organization listed on the stock exchange of India; or</p> <p>(iii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or logistic or Public Procurement from recognised University or Institute; and three years experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State Government or Statutory or autonomous organization or Public Sector Undertakings or University or Any recognised institute or Banks or in a Private Sector Organization listed on the stock exchange of India;</p> <p>Note 1: The Departmental Store Keeper in level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists will also considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/03/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नीति आयोग

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व योजना आयोग (तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीति आयोग में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान), तकनीकी अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आ.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की

है

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	नियुक्ति के लिए जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
(ii). सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थानों में कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पदोन्नति 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सलाहकार (संचार कक्ष) - सदस्य 3. नीति आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सलाहकार - सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य पुष्टिकरण के लिए विभागीय समिति 1. सलाहकार (संचार कक्ष) - अध्यक्ष 2. नीति आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सलाहकार - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. ए – 12018/01/2016-प्रशा. II/III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NITI AAYOG

New Delhi, the 5th November, 2020

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Planning Commission(Technical Officer Recruitment) Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the NITI Aayog, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the NITI Aayog (National Institution for Transforming India), Technical Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix applicable thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, as entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribe, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short-term contract

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Senior Artist with eight years regular service in the level-6 of the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) possessing at least a bachelors degree in fine arts or commercial art from a recognised university or institute and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field/area as specified by NITI Aayog. Note 1: Requirement of possession of	Promotion 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Adviser(CommunicationCell) - Member; 3. Joint Adviser to be nominated by the NITI Aayog - Member; 4. Director(Administration) or Deputy Secretary(Administration) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

<p>bachelors degree in fine arts or commercial art for promotion shall not be applicable to existing incumbents in the grade of Senior Artist, on the date of commencement of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post or post in level-9 in the pay matrix on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in post in level-8 of the pay matrix (Rs.47,600-1,51,100) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:-</p> <p>(i) bachelors degree in fine arts or commercial art from a recognised university or institute; and</p> <p>(ii) three years experience in organising events, seminars, conferences, workshops, etc. in a Government organisation or recognised universities or research institutions.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Committee for Confirmation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adviser (Communication Cell) - Chairman; 2. Joint Adviser to be nominated by the NITI Aayog - Member; 3. Director(Administration) or Deputy Secretary(Administration) - Member. 	
--	--	--

[F. No.A.12018/1/2016-Adm.II/III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) में समूह 'ग' भर्ती नियम 2011 का अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, में उच्च श्रेणी लिपिक के पद की भर्ती नियमावली में निम्नलिखित नियमों को विनियमित करते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख.—

(1) इन नियमों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएँ आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएँ और उनसे संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता.— कोई भी ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या अनुबंध किया है जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति ने जिससे विवाह किया है उसकी उन दोनों के वैयक्तिक कानून के अनुसार अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हों तो उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकेगी।

5. छूट देने का अधिकार.—जिन मामलों में केंद्र सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या व्यावहारिक हो तो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से और ऐसा करने से संबंधित कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

6. व्यावृत्ति.—केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशिष्ट श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में पे लेवल	क्या यह चयनित पद है अथवा गैर चयनित पद है	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	218* (2020) *कार्यभार के अनुसार यह संख्या घट- बढ़ सकती है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (25,500- 81,100 रु.)	लागू नहीं	केंद्र सरकार के निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (सरकार कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तथा अनुसूचित जाति/

					अनुसूचित जन जाति के मामले में 45 वर्ष तक की आयु में शिथिलता) टिप्पणी: आयु-सीमा की अंतिम तिथि का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार रहेगा। (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं हो रही है, वहाँ आयु-निर्धारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार होगा।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	क्या पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के मामले में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता की शर्तें लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधे भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री। ऐच्छिक : कंप्यूटर टाइपिंग अथवा कार्य करने का कार्यसाधक ज्ञान।	लागू नहीं	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष और पदोन्नत कार्मिकों के लिए शून्य।	(i) पचास प्रतिशत सीधे भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। (ii) पैंतीस प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा। (iii) पंद्रह प्रतिशत भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती संबंधी मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /समावेशन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति पहले से ही है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जा सकती है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900-63,200/-रु.) में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक जिनकी इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है। टिप्पणी 1. जब कनिष्ठ कार्मिक जिन्होंने अपनी आवश्यक योग्यता अथवा अर्हता पूरी कर ली हो, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो तो उससे वरिष्ठ कार्मिक की	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) : 1.उपमहानिदेशक(प्रशासन) या वैज्ञानिक 'ई' या वैज्ञानिक 'एफ' - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; और 3.एक विभागीय समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) - सदस्य	लागू नहीं।

<p>पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उसकी वांछनीय योग्यता अथवा अर्हता सेवा अवधि में कमी नहीं हो और उसने वांछनीय योग्यता अथवा अर्हक सेवा अवधि की आधी से ज्यादा, या दो वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी हो, इनमें से जो भी कम हो, और उसने अगली पदोन्नत श्रेणी के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के कार्मिक जो</p> <p>(I) मूल कैडर/ विभाग में सदृश पद पर नियमित रूप से कार्यरत है; या</p> <p>(II) जिसने अवर श्रेणी लिपिक के पद पर वेतन मैट्रिक्स-2 (19,900- 63,200 रु.) या समतुल्य में भर्ती के बाद से मूल कैडर या विभाग में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है;</p> <p>टिप्पणी: 1. फीडर श्रेणी के विभागीय कार्मिक जो पदोन्नति की सीधी लाइन में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक को पदोन्नति पर नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाएगा।</p> <p>टिप्पणी- 2. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य बाह्य कैडर के समान पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी: 3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे :</p> <p>विभाग के अवर श्रेणी लिपिक जो वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19,900- 63,200/-रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें:</p> <p>1.उपमहानिदेशक(प्रशासन) या वैज्ञानिक 'ई' या वैज्ञानिक 'एफ" - अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; और</p> <p>3.एक विभागीय समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) - सदस्य</p>	
---	---	--

[फा. सं. ए-12026/2/09- ई(3)(आर आर)/ यू.डी.सी.]

श्री वाई.के.रेड्डी, उपमहानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**(India Meteorological Department)**

New Delhi, the 12th November, 2020

G.S.R. 165 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Earth Sciences (India Meteorological Department) Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of Recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Office of the India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Earth Sciences (India Meteorological Department) Group ‘C’ post, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualifications.**— No person, –
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk.	218* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group ‘C’ Non-Gazetted, Ministerial.	Level - 4 (Rs.25,500 - 81,100)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government Servants upto 40 (forty) years (45 years in respect of Schedule Cast / Schedule Tribe candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

					(Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent.</p> <p>Desirable: Working knowledge of basic computer typing or operational knowledge.</p>	Not applicable	Two years for direct recruit and 'NIL' for Promotees	<p>(i) Fifty percent by direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) Thirty five percent by promotion failing which by deputation.</p> <p>(iii) Fifteen percent by departmental competitive examination to be conducted by India Meteorological Department failing which by direct recruitment.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>The departmental Lower Division Clerk in level-2 (Rs 19,900 – 63,200) in pay matrix with eight years regular service rendered in the grade.</p> <p>Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for their promotion to the next higher Level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Deputy Director General (Administration) or Scientist 'E' or Scientist 'F' - Chairman;</p> <p>(2) Scientist 'C' or Scientist 'D' or Group 'A' officer equivalent to Scientist 'C' - Member; and</p> <p>(3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (India Meteorological Department) - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(1) Deputy Director General (Administration) or Scientist 'E' or Scientist 'F' - Chairman;</p> <p>(2) Scientist 'C' or Scientist 'D' or Group 'A' officer equivalent to Scientist 'C' - Member; and</p> <p>(3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (India Meteorological Department) - Member.</p>	

<p>eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officials under the Central Government :</p> <p>(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(II) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis as Lower Division Clerk in Level-2 (Rs. 19,900 – 63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1.- The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 .- Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3 - The Maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination :</p> <p>The following categories of employees of the India Meteorological Department shall be eligible for appearing in Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by India Meteorological Department:</p> <p>Lower Division Clerks in the department in Level-2 (Rs. 19,900 – 63,200) in pay matrix with five years regular service in the grade.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12026/2/09-E(3)(RR)/UDC]

SHRI Y K REDDY, Dy. Director General (Administration),

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 166 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम ब्यूरो (विभागीय कैंटीन कर्मचारी) में प्रबंधक-सह लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम ब्यूरो (विभागीय कैंटीन कर्मचारी), प्रबंधक-सह लेखाकार (समूह-‘ख’ पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन वतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रबंधक-सह लेखाकार	1 * (2020) *कार्याभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ख’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रूपये में स्तर-6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालीन संविदा भी है) + प्रोन्नति संयुक्त रीति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11.	12	13
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा की है) + प्रोन्नति समतुल्य रीति से</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी संगठनों निकासो/कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियुक्ति आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है।</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार या उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100) रुपये या समतुल्य पदों पर नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-3 (21700-69100) रुपये या समतुल्य पदों पर नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(v) जिन्होंने मूल काडर या विभाग वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200) रुपये या समतुल्य पदों पर नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में अठारह वर्ष</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक श्रम ब्यूरो - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) श्रम ब्यूरो - सदस्य 3. विभागीय कैंटीन का भारसाधक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक श्रम ब्यूरो - सदस्य 4. मंत्रालय से एक अधिकारी जो अवर सचिव - सदस्य श्रेणी से नीचे का न हो 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>की सेवा की हो।</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या व्यवसाय अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पाब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी या कानूनी संगठनों में सेवा कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : ऐसे विभागीय लिपिक पद , जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200) रूपये में उस श्रेणी में अठारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए निहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नत समझे गए पदधारी रोकड़ और लेखा और कैंटीन प्रबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण लेंगे।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत संविदा की अल्पकालीन अवधि की है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. ए-11016/1/2012-ईएसए (एलबी)]

अतुल कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 2nd November, 2020

G.S.R. 166 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager-cum Accountant in the Labour Bureau (Departmental Canteen Employees), Ministry of Labour and Employment, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Labour Bureau (Departmental Canteen Employees), Manager-cum-Accountant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manager-cum-Accountant.	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs 35400-112400).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By composite method-deputation (Short term contract (STC) plus promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	13
Composite method (deputation (including short term contract) plus promotion. Officers under Central Government or State Governments or Union territories Administrations or public sector undertakings/Universities or recognised research institutions or autonomous bodies/statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 in the pay matrix (Rs	Group 'B' Departmental Confirmation Committee_ (for considering confirmation) consisting of:- 1) Director General, Labour Bureau – Chairman ; 2) Under Secretary (Administration), Labour Bureau – Member ; 3) Joint Director or Deputy Director – In-charge, Departmental Canteen, Labour Bureau – Member ; 4) One officer from the Ministry not below the rank of Under Secretary – Member .	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

<p>29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis posts in the level 4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with fifteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis posts in the level-3 in the pay matrix (Rs 21,700-69,100) or equivalent in the parent care or department ; or</p> <p>(v) with eighteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis posts in the level-2 in the pay matrix (Rs 19,900-63,200) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as under :-</p> <p>(i) Bachelor's degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public Administration of a recognised University or Institute ;</p> <p>(ii) two years experience in accounts work in any Government office or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organisations.</p> <p>Note 1: The Departmental Clerk in the level 2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with eighteen years of regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders and in case He or She is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled in by promotion.</p> <p>Note 2: The deemed promotee incumbent has to undergo mandatory training in cash and accounts and management of canteen.</p> <p>Note 3: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall</p>		
---	--	--

ordinarily not to exceed three years. Note 4 : The maximum age-limit for appointment by deputation including short term contract (ISTC) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F.No.A-11016/1/2012-ESA(LB)]
ATUL KUMAR SINGH, Under Secy.